

अपर समाहर्ता, दुमका का न्यायालय

एम0आर0ए0 वाद सं0-01/2021-22

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता-स्व0 हरगोरी पाण्डेय, ग्राम-लखीकुण्डी, जिला दुमका एवं
अन्य बनाम कमल प्र0 साह, पिता-स्व0 गणेश साह, ग्राम-लखीकुण्डी, जिला दुमका एवं
अन्य।

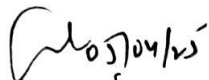
आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
5.4.25	आदेश प्रस्तुत एम0आर0ए0 वाद सं0-01/2021-22 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, पिता-स्व0 हरगोरी पाण्डेय, ग्राम-लखीकुण्डी, जिला दुमका एवं अन्य के द्वारा कमल प्र0 साह, पिता-स्व0 गणेश साह, ग्राम-लखीकुण्डी, जिला दुमका एवं अन्य तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के नामांतरण अपील वाद सं0-07/2015-16 में पारित आदेश दिनांक-28.07.2021 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। जिसमें अंचल अधिकारी, दुमका के नामांतरण वाद सं0-210/11-12 में अंचल अधिकारी, दुमका के आदेश को रद्द कर दिया गया था। मामला मौजा लखीकुण्डी के जमाबन्दी नं0-94/03 प्लॉट नं0-398 के रकवा-12 धूर भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित है कि वर्ष 1980 में अपीलकर्ता की दादी दलेश्वरी पाण्डेय को चिकित्सा उपचार के लिए 300 रू0 की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने गणेश साह से कुछ दिनों के लिए 300 रू0 उधार देने का आग्रह किया। प्रतिवादी गण के पिता गणेश साह ने दलेश्वरी देवी को उक्त भूमि के बदले 300 रू0 देकर भूमि को निबंधित करा लिया था। दिनांक-17.05.1980 को दलेश्वरी पाण्डेय ने उक्त विक्रय विलेख सं0-1745, दिनांक-16.04.1980 को Registered Cancellation डीड सं0-2171, दिनांक-17.05.1980 के माध्यम से निरस्त कर दिया। गणेश साह को 300 रू0 वापस कर दिया तथा मामला वर्ष 1980 में ही समाप्त हो गया। विक्रय विलेख रद्द होने के 30 वर्षों के बाद सियावती देवी पत्नी गणेश साह ने उक्त 12 धूर जमीन के लिए अंचल अधिकारी, दुमका के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दिया एवं नामांतरण वाद सं0-210/2011-12 आरंभ हुआ। अंचल अधिकारी, दुमका के द्वारा 16 आना रैयतों को नोटिस करने पर अपीलकर्ता को नामांतरण के बारे में पता चला। तब उन्होंने आपत्ति दर्ज किया। अंचल अधिकारी, दुमका ने नामांतरण वाद सं0-210/11-12 को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के न्यायालय में म्यूटेशन अपील वाद सं0 07/2015-16 दायर किया गया, जिसमें गलत एवं अवैध रूप से आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि निचली अदालत द्वारा बिक्री विलेख को रद्द करने का आदेश प्राप्त है। विक्रय विलेख को रद्द करने के पश्चात् केता का उक्त भूमि पर स्वमित्व समाप्त हो जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। पुनः अपीलकर्ता के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को दिये गये आवेदन में अनुरोध किया गया है कि संबंधित विवादाग्रस्त जमीन अपीलकर्ता द्वारा सीनियर सिविल जज नं0-1 दुमका के न्यायालय में स्वत्व वाद (Title Suit) दायर किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका का आदेश पूर्णतः सही एवं विधि सम्मत है। सियावती देवी के द्वारा जमाबन्दी सं0-94/3 प्लॉट सं0-398 रकवा 12 धूर	

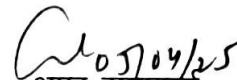
भूमि का कय पंजीकृत विकय विलेख सं०-1745 दिनांक-16.04.1980 के द्वारा किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील, न्यायालय को गुमराह करने हेतु किया गया है। पंजीयन अधिनियम की धारा-17 के अनुसार पंजीकृत विकय विलेख को निबंधन कार्यालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। विपक्षी द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

इस समीक्षा के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
दुमका।


अपर समाहर्ता,
दुमका।